

GST परिषद की 45वीं बैठक

प्रलिस के लयः

GST परिषद, GST

मेन्स के लयः

GST परिषद की संरचना और संबधति मुददे

चरचा में क्योँ?

हाल ही में [वसतु एवं सेवा कर \(GST\) परिषद](#) की 45वीं बैठक संपन्न हुई ।

What's in store | The 45th GST Council meeting was chaired by Finance Minister Nirmala Sitharaman in Lucknow on Friday. Among the key decisions are:

■ Concessional tax rates on COVID-19 **essential medicines like Tocilizumab** extended till December 31


■ **Muscular atrophy drugs** such as Zolgensma and Viltepso that cost around ₹16 cr. exempted from GST

■ Import of **leased aircraft** exempted from I-GST

■ **Food delivery apps** to collect GST instead of restaurants

■ Tax on **fortified rice kernels** for ICDS scheme reduced from 18% to 5%

■ GST on **cancer drug Keytruda** brought down from 12% to 5%



प्रमुख बदि

- **रयऱयती GST दरों का वसऱतारः**
 - परिषद ने दसऱंबर 2021 तक **कोवडऱ-19 उपचार** से संबधति कई दवाओं पर GST राहत के वसऱतार का नरऱणय लयऱ।
- **खऱदय वतऱरण एप्स एकतुर करेंगे GSTः**
 - अब रेसुतराँ भागीदारों के बजाय ऑनलाइन फूड डलऱवरी एगुरीगेटर फरम जैसे **सवगीं और ज़ोमैटो GST का भुगतान करने के लयऱ उत्तरदायी होंगे**।
 - वर्तमान में फूड एगुरीगेटरस द्वारा उत्पन्न ऑनलाइन बलऱों में पहले से ही GST एक कर घटक होता है।
 - अभी तक कर की राशाका भुगतान रेसुतराँ भागीदारों को वापस कर दयऱा जाता है, जनिसे उम्मीद की जाती है कऱवे इस राशाका भुगतान सरकार को करेंगे।
- **पेट्रोल-डीज़ल GST के दऱयरे में नहीं आएगाः**
 - परिषद ने पेट्रोल और डीज़ल को GST के दऱयरे में नहीं लाने का फैसला कयऱा है। राज्यों ने इनकी कीमतों में उछाल पर चतऱा जतऱते हुए बैठक

के दौरान ईंधन को शामिल करने का कड़ा वरिध कया।

- यद पेट्रोल और डीज़ल GST व्यवस्था के तहत आते हैं, तो कीमतें सभी राज्यों में एक समान हो जाएगी क्योंकि केंद्र और राज्यों द्वारा लगाए गए वभिन्न उत्पाद शुल्क तथा वैट दरों को हटा दिया जाएगा।
- इससे डीज़ल और पेट्रोल की कीमतों में महत्वपूर्ण कमी लाने में मदद मलगी, हाल के समय में जनिकी कीमतें बहुत बढ़ गई हैं।

■ फोर्टफाइड चावल पर GST घटाया गया:

- [एकीकृत बाल विकास योजना](#) जैसी योजनाओं के लयि [फोर्टफाइड चावल](#) पर GST दर को 18% से घटाकर 5% करने की सफारश की गई है।

■ दर को युक्तसंगत बनाने के लयि GOM:

- रविरस शुल्क ढाँचे को ठीक करने और राजस्व बढ़ाने के प्रयास हेतु दर युक्तकरण संबंधी मुद्दों को देखने के लयिराज्य के मंत्रयों के एक समूह (GOM) का गठन कया जाएगा।
 - रविरस शुल्क संरचना तब उत्पन्न होती है जब आउटपुट या अंतिम उत्पाद पर कर, इनपुट पर कर से कम होता है, इससे इनपुट टैक्स क्रेडिट का एक रविरस संचय होता है जसि ज़्यादातर मामलों में वापस करना पड़ता है।
 - रविरस शुल्क संरचना (Inverted Duty Structure) में राजस्व बहरिवाह की समस्या नहिति है, इसके लयि सरकार को शुल्क संरचना पर फरि से वचार करना चाहयि।
- ई-वे बलि, फ्रास्टैंटा, अनुपालन (Compliances), प्रौद्योगिकी, वर्तमान कमयों को दूर करने, कंपोज़िशन स्कीम आदिके मुद्दों को व्यवस्थति करने के लयि अन्य GOM स्थापति कयि जाएंगे।

GST परषिद

- यह माल और सेवा कर से संबंधति मुद्दों पर केंद्र एवं राज्य सरकार को सफारश करने के लयि अनुच्छेद 279A के तहत एक संवैधानिकि नकिय है।
- GST परषिद की अध्यक्षता केंद्रीय वतित मंत्री करता है और सभी राज्यों के वतित मंत्री परषिद के सदस्य होते हैं।
- इसे एक संघीय नकिय के रूप में स्थापति कया गया है जहाँ केंद्र और राज्यों दोनों को उचित प्रतनिधित्व मलित है।

स्रोत: इंडयिन एक्सप्रेस

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/45th-gst-council-meeting>

